



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062021-227727  
CG-DL-E-19062021-227727

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943

No. 2235]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2407(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1875 (अ), तारीख 9 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 12 जून, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में वाशिम और यवतमाल जिलों में स्थित है और 18.321 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है;

और, करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यूएलपी.1095/सी.आर.-80/एफ-1 तारीख 7 दिसंबर, 2000 के द्वारा अधिसूचित किया गया;

और, क्षेत्र में बहुत उच्च जीवजंतु और वनस्पति विविधता सहित स्तनधारियों की लगभग 18 प्रजातियां, सरीसृपों की लगभग 48 प्रजातियां और उभयचरों की कई प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति "दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों" के द्वारा प्रतिनिधित्व करती है जिसमें प्रजातियां जैसे अचार, चार (बुचनानिया लांजान, स्प्रेंग.), ऐन/साजा (टर्मिनलिया टोमनटोसा, डब्ल्यू. और ए.), अमता (बुचनानिया मालाबरिका, रॉक्सब.), एओला/आवला (इम्बलिका ओम्फिसिनलिस, लिन्न.), अपता (बौहिनिअ रेकेमोसा, लामक.), बहेडा (टर्मिनलिया बेलेरिका, बॉक्सब.), बेर /बौर (ज़िज़िफ़स मौरीटिआना, लामक.), धौडा/ धावडा (एनोगेइस्सुस लतिफोलिया, वाल्ल.), धामन (प्रेविया टिलिफोलिया, वाल्ल.), धोबन (डालबेर्गिया पानिकुलाटा, रॉक्सब.), घोटी/घोटबोर (जिजफ़स जयलोपरा, यिल्लड.), हिवार (अकैशिया लेउकोफलोइया, विल्लड.), हिंगान(बलानिटेस केगयपटिया, डेल.), जामुन (सिययगियम कुमिनी, लिन्नस. स्कैलस.), खैर (अकाकिया कटेचु, विल्लड.), लेंदिया/सेहना (लागेरस्टोइमिया परविफ्लोरा, रॉक्सब.), नीम (अजादीराचआ इंडिका, लिन्न.), पलास (बुटेया मोनोस्पर्मा, लामक.), सलाई (बोस्वेलिया सेराटा, रॉक्सब.), तेनदु (डियोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन, रॉक्सब.), आदि वृक्षों और अनंतमुल (हेमिदेस्मुस इंडिकस, बर), गोकरू (सैथियम स्तरुमारिउम, लिन्न), लोखांडी (लक्सओरा परविफ्लोरा, वाहल), मोरोडफाल/ मुरुडशेंग (हेलिक्टरिस इसोरा, लिन्न), निरगुडी (वितेक्स निगुंडो), रनतुलास (ओकिमुम बासिलिकम), रूई (कैलोट्रोपिस गिगांटिया), सिंधी (फोइनिकस अकउलिस, बुच), तरोटा (कैस्थिया तोरा), चिलाटी (अकाशिया पिन्नाटा, विल्लड), गुंज (अबरूस प्रेकाटोरिउस, लिन्न), इरोनी (जिजिफ़स ओइनोप्लिया, विल्ल), कांजकुरी (मुकुना परूइंस, डी.ओ.), पंधारी कुसाल (अरीस्टीडा फुनिकुलाटा), डोनगर (चरयसोपोगं फुलवुस), मारवेल (डिचानथिउम अन्नुलानुम), शिकारी (डिजिटारिया किलिअरिस), कुसाली (हेटेरोपोगोन कोनोटोर्डस), कोडरा/कुनडा (पास्पलुम केरोबिकुलानुम), शेडा (सेहिमा नर्वोसुम), चिकता (सेटारिया इंटरमीडिया), आदि, झाड़ियां और घासों शामिल हैं;

और, अभयारण्य जंगली पशु प्रजातियों जैसे हनुमान लंगूर (प्रेस्विटेस इनटेल्स, दूप), बनबिलार (फेलिस चाउस, गुल्ड), सामान्य नेवला (हेरपिस्टस ऐडवर्डिस, गेओ), स्ट्रिप्पड हेयना (हेयना हेयना, लिन्न), भेडिया (कैनिस् लुपुस, लिन्न), फुल्वोउस फ्रूट बेत (रोउसेट्टुस लेस्चेनाउलटी, डेस), श्री स्ट्रिप्पड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पाल्मारूम, लिन्न.), भारतीय फील्ड मिके (मुस बूडुगा, ग्रे), सामान्य हाउस चूहा (रट्टुस रट्टुस, लिन्न), बंडिकूटा चूहा (बांडिकूटा इंडिका, बेच), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका, केर), रूफोसटलेट खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लिस, कुव), ब्लू बुल/ नीलगाय (बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस, पाल्ल), स्पोट्टेड हिरन (एक्सिस एक्सिस इराक्स), मुंजक (मुन्टिअक्स मुन्तजक, जिम्म), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा, लिन्न), भारतीय साल (मानिस सरास्सिकउडटा, ग्रेय), आदि के लिए जाना जाता है;

और, अभयारण्य से पक्षियों के साथ पक्षी की प्रजातियां जिसमें ग्रे बगुला (अरदिया सिनेरिया), पोंड बगुला (अरदेओला ग्रेयी), कट्टेल इग्रेट (बुबुलकुस इबिस), छोटा इग्रेट (इग्रेटा गार्जेटा), छोटा कॉमॉरेंट (फेलाक्रोसोरैक्स निगेर), ओपनबिल्लेड स्टॉर्क (एनास्टोमुस ओस्किटांस), वाइटनेकड स्टॉर्क (किकोनिया इपिस्कोपुस), ब्लैक इबिस (पसेउदीबिस पादील्लोसा), ब्राह्मणी बत्तख (ताडोर्ना फेरुगिनिया), ब्लैकविंगड काइट (इलानुस कैरूलेउस), शिकरा (अक्किपिटेर बाडिउस), ग्रे तीतर (फरानकोलिनुस पोनिडिकेरिअनुस), सामान्य मोर (पावो क्रिस्टटुस), डेमोइसेल्ले क्रैन (अंथोरपोइडेस विरगो), रेडवाट्टलेड लेपविंग (वानेल्लुस इंडिकुस), सामान्य सैंडपाइपर (ट्रिंगार हाइपोलेक्युस), व्हाइटब्रिडस्टेड वाटरहेन (अमानोर्निस फोइनिकुरुस), ब्लैक-विंगड स्टिल्ट (हिमांतोपुस हेनाटोपुस), ब्लू रॉक कबूतर (कोलुम्बा लिविया), भारतीय रिंग कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया डेकओक्टो), रेड कड्डुआ कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया), धारीदार कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेसिस), ग्रीन कबूतर (ट्रिरोन फोएनिकोप्टेरा), एलेक्जेंड्रिन पैराकेट (पिस्ट्राकुला इयपाटरिया), रोज-रिंगड पैराकीट (पसिट्राकुला करामेरी), ब्लोसोम- हेडेड पैराकीट (पसिट्राकुला क्यानोसेफला), ब्रेन फीवर बर्ड (कुकुलुस वारिओउस), क्रो-तीतर (केंटरोपुस सिनेसिस), पाइड किंगफिशर (केरयले रूडिस), वाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (हलकों स्मिरनेसिस), छोटा ब्लू किंगफिशर (हलकयों अथिस), छोटा ग्रीन बी-ईटर (मेरोप्स ओरिंटलिस), चिस्टनुस- हेडेड बी-ईटर (पेरोपस लेस्चानावली), भारतीय रोल्लेर (कोराकिअस बेंघालेंसिस), हूपे (उपुपा इपोप्स), भारतीय निघटजार (कैप्रिमुलगुस एशियाटीकस), सामान्य ग्रे हॉर्नबिल (टोककुस बिरोस्टरीस), कोप्परस्मिथ (मेघालाइमा हेइमाकेफाला), गोल्डन-बैकड कठफोडवा (डीनोपिउम बेंघालेंसे), येलो-फ्रॉन्टेड विचित्र कठफोडवा (पिकोइडेस माहराट्टेंसिस), पिगमय कठफोडवा (पिकोइडेस ननुस), रेड-विंगेड बुस लार्क (मिराफेरा एरिथ्रोप्टेरा), क्रेस्टेड लार्क (गैलेरिडा क्रिस्टाटा), रुपफेल्ड फिंच लार्क (अम्मोमानेस फोइनिकुरुस), विरटैलेड स्वोलो (हीरंडो स्मिथि), ग्रे श्रीके (लानिउस एक्सक्यूबिटर), बेय - बैकेड शिकारा (लनिउस विटटुस), रूफोउस- बैकेड श्रीके (लनिउस स्वाच), ब्लैक ड्रोगो (डिचरूरूस एडसिमिलिस), ब्लैक हेडेड मैना (स्तुरनुस पागोडारिम), चितकवरा मैना (स्तुरनुस कोनट्रा), भारतीय मैना (एक्रीडोथेरेस, भारतीय ट्री पिइ (डेंड्रोकिट्टा वागाबुंडस), इओरा (अइगिथिना टीफिया), रेड-वेंटेड बुलबुल (पाइकोन्टोन्टर्न काफेर), मैगपाई रोबिन (कप्सीचूस सउलारिस), भारतीय रोबिन (सैक्सिकोलोइडेफिसिटाटा), ब्लैक रेडस्टार्ट (फोनिकुरुस), ब्राउन रॉक चैट (केरसोमेला फुस्का), जंगल बाब्लेर (टुरडोइडेस रूटरिअटुस), पैराडिसे फ्लाइचैकर (टेरप्सिफोने पाराडिसे), वाइट -स्पोट्टेड फंटाइल फ्लाइचैकर (फिपिदुरा अल्बिकोल्लिस), टेइलोर बर्ड (ओरथोटोमुस सुटोरिउस), डुल्ल-ग्रीन लैफ वारबलेर (फिलोस्कोपस टरोचिलोइडेस), थिक-

बिल्लेड वारबलेर (अकरोकेफलुस एड्डोन), येलो - हेडेड वागटेइल (मोटाकिल्ला किटेरोला), पाइड वागटेइल (मोटाकिल्ला किनेरिया), वाइट और पिइड वागटेल (मोटाकिल्ला अल्बा दुखुनेंसिस), येलो वागटेल (मोटाकिल्ला फलावा), पर्पल -रुमपैड सनबर्ड (नेकटारनिया जेयलोनिका), पर्पल सनबर्ड (नेकआरनिया एसिएटिका), वाइट थ्रोडेट मुनिया (लोनचुरा मालावरिका), ब्लैक- हेडेड बंटिंग (इमबेरिजा मेलोनोकेफाला), स्पॉटेड ओवलेट (अथेना बरमा), स्केरलेट मिनिवेट (पेरिकरोकोटुस फ्लाम्मेउस), आदि शामिल को अभिलिखित किया गया है;

और, करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य में सरीसृप, उभयचरों, मछली, तितलियों और मकड़ियों की प्रजातियाँ बीकड वोर्म सांप (तिफ्लिना अकुटुस), भारतीय पायथन (पायथन मोलुरसुस), सामान्य सैड बोआ (इरयक्स कोनिकस), सामान्य भेडिया सांप (लयकोडोन अयलिकुस), ग्रीन कीलबैक (माक्रोपिस्थोडोन पलुम्बिकोलोर), चेकेरेड कील बैक (एक्सनोचरोफिस पिस्कटोर), गुंथेर राकेर (अरगयरोगेना ग्राकिलिस), सामान्य ब्रोजेबैल ट्री सांप (डेनडरेलाफिस टरीस्टीस), सामान्य कैट स्लेक (बोइगा ट्रीगोनाटा), सामान्य कोबरा (नाजा नाजा), रूसेल विपर (विपेरा रूसेल्ली), साव-स्केलड विपर (इचिस केरिनाटस), बम्बौ पिट विपेर (ट्रिमरसुरूस ग्रामिनेउस), गार्डन छिपकली (कैलोट्स वर्सीकोलोर), भारतीय गिरगिट (चमेलेओन जाइलानिकुस), सामान्य कार्प (लब्रियो रोहिटा), सामान्य कार्प (किरहीनुस मरीगला), कैट फिश (वाल्लागो अट्टु), कैट फिश (एइटिया कोइला), नाइफ फिश (नॉटोप्टेरुस नॉटोप्टेरुस), गार पिके (सेनेटोडोन कैकिला), सांप-हेडेड फिश (चना स्ट्रेटस), सांप-हेडेड फिश (चना पुनकटाटुस), सांप-हेडेड फिश (चना मारूलिउस), पर्च फिश (नारदुस नारदुस), गोविइस (गलोस्सोगोविउस गुइरिस), स्पिंग ईल (मास्टोकेम्बेलुस पांकलुस), सामान्य स्किंक (मबुरिया क्रेरिनेटा), ट्री मेढक (रहेकोफोरुस मकलातुस), सामान्य टोड (बुफो मालानोस्टिकुलुस), क्रिम्सोन रोज (ट्रोस हेक्टर), सामान्य मोर्मोन (पपिलिओ पोल्यटेस), सामान्य मिमे (चिलासा क्लीटिया), पिओनैर (अनाफाइस औरोटा), वाइट ऑरेंज टीप (लकूइस मारिअन्ने), ग्रेट ऑरेंज टीप (हेबोमोइया गलाउकिप्पे), सामान्य इमिग्रेंट (कैटोपिसिया क्रोकेले), मोट्टलेड इमिग्रेंट (कटोप्सिलिया पयरांथे), सामान्य अकैशिया ब्लू (सुरेंद्रा क्यूरकेटोरूम), सामान्य केरुलेअन (जमिदेस केलेनो), ग्रास जेवेल (फ्रीयेरिया ट्रोचिलुस), सामान्य हेडज ब्लू (अकैटोलेपिस पुस्पा), डार्क बैंड बुस ब्राउन (मयकालेसिस मिनेउस), टवनय राजाह (चरैक्स पॉलीक्सेना), बारोनेट (इयथालिया नाइस), कमांडर (मोदुजा प्रोकरीस), ग्रेट इग्गफ्लाय (हायपोलिम्नास बोलिना), डानाइड एग्गफलई (हायपोलिम्नास मिसिप्पुस), येलो पैसी (पेरकिस हिइर्टा), ग्रे पैसी (पेरकिस अटलिटैस), पालाइन बाघ (डेनउस क्राइसिप्पुस), सामान्य क्रो (इयप्लोइया कोरे), डार्क पाल्म डार्ट (असतीचूस पीथियस), ग्रास डेमोन (उदास्पेस फदास्पेस फोलुस), भारतीय स्किपर (स्पिअलिया गलवा), सामान्य रेडेये (मातापा अरिका), ब्लैक बुड स्पाइडर (नेफिला कुहली), असहय सोशियल स्पिडेर (स्टेगोडयफुस सारासिनोरूम), फुन्नेल भेडिया (हिप्पासा एगेलेनोइडेस), तुन्नेल भेडिया (लयकोसा इंडागाट्रीक्स), जेबरा जुम्पर (पलेकूइप्पुस पेयकुल्ली), लॉग-लेग्गेड स्ट्राव (इयकटा जवाना), आदि उपलब्ध है;

और, उपर्युक्त अभयारण्य मानव आवास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अतिनिकट होने से अभयारण्य के लिए उचित सुरक्षा उपायों और ऐसी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला वाशिम और यवतमाल के महाराष्ट्र राज्य में करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 1.5 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 24.7375 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य की सीमांत पर किसी भी पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वास की अनुपस्थिति को देखते हुए गंगापुर ग्राम के गट सं. 17 और 18 और कमाथवाडा ग्राम के गट सं. 39 के निकट अभयारण्य की उत्तरी भाग की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य प्रस्तावित किया गया और कृषि भूमि उसके बगल में है।

(2) करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग के रूप में संलग्न है।

(4) करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(क) पर्यावरण;

(ख) वन और वन्यजीव;

(ग) शहरी विकास;

(घ) पर्यटन;

(ङ) नगरपालिका;

(च) राजस्व;

(छ) कृषि;

(ज) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(झ) ग्रामीण विकास;

(ञ) पंचायती राज;

(ट) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण; और

(ठ) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(क) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ख) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(ग) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(घ) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(ङ.) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 में किए गए संशोधन के रूप में, तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2019 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

## सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।



11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
22.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	टोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	पवन चक्कियाँ और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
<b>इ. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलक्टर, वाशिम	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला कलक्टर, यवतमाल के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), अकोला	सदस्य;
(iv)	प्रत्येक मामले में तीन साल की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (विरासत संरक्षण सहित) का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	शहरी योजना कार्यालय का एक प्रतिनिधि, वाशिम	सदस्य;
(vii)	शहरी योजना कार्यालय का एक प्रतिनिधि, यवतमाल	सदस्य;
(viii)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामित किया जाना है	सदस्य;
(x)	राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता में एक विशेषज्ञ को नामित किया जाना है	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, यवतमाल	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक, वाशिम	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, बशर्ते यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/10/2019-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I


**महाराष्ट्र राज्य में करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

दिशा	घिरा हुआ
उत्तर	<p>वाशिम वन संभाग -0 से 150 मीटर -</p> <p>वाशिम वन संभाग के वन और गैर वन क्षेत्र</p> <p>पसरानी ग्राम की क्र. सं. 71, 70, 73, 74, 91, 90 की उत्तरी सीमा। मिर्जापुर ग्राम की क्र. सं. 1, 13, 14, 12, गिरदा ग्राम की क्र.सं. 55, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8 इमामपुर ग्राम की क्र.सं. 47 दादागांव ग्राम की क्र. सं. 48, 49, 50, 51, 52, 43, 41, 42, 67, 66, 33, 1, 31, 30, 29, 24, 9, 6, 2, 79, 78, 80, 74 गंगापुर, कमाथावाडा की ग्राम सीमा, सोमथाना ग्राम की क्र.सं 53, 54 बागापुर ग्राम की क्र. सं., 22, 25, 27, 32 उम्बरदा ग्राम की क्र.सं. 83, 81, 79, 77, 69, 75, 70, 49, 47, 74, 43, 44,</p> <p>यवतमाल संभाग-</p> <p>हतोला ग्राम की क्र.सं. - 432 से 440, 441, 450, 451, 452 to 457, 467 से 469, 475 से 479।</p>

पूर्व	<p>यवतमाल वन संभाग -0 से 1500 मीटर  यवतमाल संभाग के वन एवं गैर वन क्षेत्र  हतोला ग्राम की क्र.सं.:- 78, 75, 74, 61, 60, 58, 59, 57, 25, 26, 27, 497, 490, 493, 492, 487, 486, 485, 484, 482, 480, 481, 426, 427, 428, 429, 430, 425, 424, 422, 421, 420, 418, 417, 412, 410, 409, 413, 414, 415, 507, 509, 510, 511, 388, 383, 384, 385, 386, 392, 393, 394, 395, 399 का पश्चिमी भाग एवं सांगनी की क्र.सं 95 से 98, 91 से 93, 70, 72, 73, 50 से 55, 40, 60, 61, 42 से 45, 112, 113.</p>
दक्षिण	<p>वाशिम वन संभाग -0 से 100 मीटर  वाशिम वन संभाग के वन और गैर वन क्षेत्र  जोलगांव ग्राम की क्र.सं 10, 7, 5, 33, 3, 1 का उत्तरी भाग, दिगही ग्राम की क्र.सं. 37, 36, 41, 42, 43, 46, 48, 50 जनूना ग्राम की क्र.सं. 4, 2, 1, 43 रामानगर ग्राम की क्र.सं, 1, 2, 16, 21 पीम्परी ग्राम की क्र.सं. 9, 7, 8 इकालारा ग्राम की क्र.सं. 21, 19, 18, 36, 37, 44, 42, 41 पीम्पलगांव ग्राम की क्र.सं. 26, 27, 54, 29, 30, 31 से 34, 110, 109, 101, 103 से 105, 89 से 92, 84, 83 गिरदा ग्राम की दक्षिणी भाग ग्राम सीमा, वकी ग्राम की क्र.सं. 27, 39, 4, 3 वघोला ग्राम की क्र.सं. 57 से 60, 77, 78 येशापुर की दक्षिणी ग्राम सीमा ।</p>
पश्चिम	<p>वाशिम वन संभाग - 0 से 200 मीटर  वाशिम वन संभाग के वन और गैर वन क्षेत्र  येशापुर ग्राम की क्र.सं 40 से 46, 27 से 31, 33, 19 से 21, 14, 15, की पूर्वी भाग सीमा, पसरानी ग्राम की क्र.सं. 106, 3, 2, 110</p>

उपाबंध IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र








करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग को दर्शाने वाला मानचित्र

MAP SHOWING LAND USE PATTERN IN KARANJA SOHAL WLS, ESZ



सारणी क : करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	नोड बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	20° 25 46.70	77° 29 11.50
2	2	20° 25 22.90	77° 29 37.30
3	3	20° 25 04.30	77° 30 19.30
4	4	20° 25 57.00	77° 30 37.20
5	5	20° 26 14.50	77° 31 38.70
6	6	20° 26 36.90	77° 30. 54.80
7	7	20° 27 0.00	77° 32 11.70
8	8	20° 26 16.00	77° 32 30.90
9	9	20° 25 57.30	77° 33 46.20
10	10	20° 25 31.90	77° 34 59.00
11	11	20° 26 26.90	77° 34 18.30
12	12	20° 26 56.30	77° 33 53.10

13	13	20° 26 59.70	77° 34 38.20
14	14	20° 27 22.02	77° 34 02.40
15	15	20° 27 38.06	77° 31 54.30
16	16	20° 27 45.80	77° 35 17.50
17	17	20° 27 13.90	77° 36 09.40
18	18	20° 26 21.10	77° 36 14.01
19	19	20° 26 23.60	77° 35 43.40
20	20	20° 27 21.20	77° 35 41.10

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	नोड बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	ए	20° 25 47.10	77° 28 30.50
2	बी	20° 24 48.50	77° 28 19.40
3	सी	20° 24 48.20	77° 29 27.40
4	डी	20° 26 08.40	77° 31 11.10
5	ई	20° 25 54.80	77° 31 48.00
6	एफ	20° 27 10.70	77° 31 25.00
7	जी	20° 26 14.00	77° 30 25.50
8	एच	20° 27 38.30	77° 31 42.40
9	आई	20° 27 27.50	77° 30 44.10
10	जे	20° 27 55.20	77° 35 19.90
11	के	20° 26 37.90	77° 36 58.10
12	एल	20° 25 16.70	77° 35 24.30
13	एम	20° 25 51.20	77° 32 45.90
14	एन	20° 26 55.20	77° 32 02.50

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ करंजा सोहल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	नोड बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	उम्बरदा	करंजा	वाशिम	ए	20° 27 19.40	77° 38 20.40
2	सोमथाना	करंजा	वाशिम	बी	20° 26 30.70	77° 34 49.08
3	बागापुर	करंजा	वाशिम	सी	20° 27 18.30	77° 35 14.70
4	कमारगांव	करंजा	वाशिम	डी	20° 27 35.60	77° 33 21.90



5	गंगापुर	करंजा	वाशिम	ई	20° 27 37.80	77° 32 15.40
6	दादगांव	करंजा	वाशिम	एफ	20° 27 13.50	77° 31 17.70
7	पीम्पलगांव	करंजा	वाशिम	जी	20° 25 45.60	77° 31 10.60
8	गिरदा	करंजा	वाशिम	एच	20° 26 22.50	77° 30 02.50
9	मिर्जापुर	करंजा	वाशिम	आई	20° 26 06.40	77° 29 21.30
10	पासारानी	करंजा	वाशिम	जे	20° 25 43.70	77° 28 40.11
11	येशापुर	करंजा	वाशिम	के	20° 25 17.90	77° 28 20.00
12	वकी	मानोरा	वाशिम	एल	20° 24 45.90	77° 29 47.30
13	मामादाबाद	करंजा	वाशिम	एम	20° 26 41.40	77° 32 02.80
14	जनूना	करंजा	वाशिम	एन	20° 25 43.00	77° 33 37.30
15	रापेरी	करंजा	वाशिम	ओ	20° 26 29.10	77° 35 25.55
16	हतोला	दारावा	यवतमाल	पी	20° 26 38.20	77° 37 12.70

## उपाबंध -V

## की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

**S.O. 2407(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1875 (E), dated the 9<sup>th</sup> June 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS,** copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12<sup>th</sup> June 2020;

**AND WHEREAS**, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

**WHEREAS**, the Karanja Sohal Blackbuck Wildlife Sanctuary is located in Washim and Yavatmal Districts in Maharashtra and spread over an area of 18.321 square kilometers;

**AND WHEREAS**, the Karanja Sohal Blackbuck Wildlife Sanctuary is notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 1095/C.R.-80/ F-1 dated the 7<sup>th</sup> Dec, 2000;

**AND WHEREAS**, the area has very high faunal and floral diversity with about 18 species of mammals, about 48 species of reptiles and many species of amphibian. The flora of this area is represented by “Southern tropical Dry-Deciduous forests” including species like achar, char (*Buchnanian lanzan*, Spreng.), ain/saja (*Terminalia tomentosa*, W. & A.), amta (*Bauhinia malabarica*, Roxb.), aola/awala (*Emblia officinalis*, Linn.), apta (*Bauhinia racemosa*, Lamk.), beheda (*Terminalia belerica*, Boxb.), ber/bor (*Ziziphus mauritiana*, Lamk.), dhaoda/dhawada (*Anogeissus latifolia*, Wall.), dhaman (*Grewia tilifolia*, Wall.), dhoban (*Dalbergia paniculata*, Roxb.), ghoti/ghotbor (*Ziziphus zylopara*, Willd.), hiwar (*Acacia leucophloea*, Willd.), hingan (*Balanites cegyptia*, Del.), jamun (*Syzygium cumini*, Linn. Skeels.), khair (*Acacia catechu*, Willd.), lendia/sehna (*Lagerstroemia parviflora*, Roxb.), neem (*Azadirachta indica*, Linn.), palash (*Butea monosperma*, Lamk.), salai (*Boswellia serrata*, Roxb.), tendu (*Diospyros melanoxylon*, Roxb.), etc. among trees and anantmul (*Hemidesmus indicus*, br), gokru (*Xanthium strumarium*, Linn.), lokhandi (*Ixora parviflora*, Vahl.), morodphal/murudsheng (*Helictis isora*, Linn), nirgudi (*Vitex nigundo*), rantulas (*Ocimum basilicum*), rui (*Calotropis gigantea*), sindhi (*Phoenix acaulis*, Buch), tarota (*Cassia tora*), chilati (*Acacia pinnata*, Willd.), gunj (*Abrus precatorius*, Linn.), eroni (*Ziziphus oenoplia*, Will.), kanjhkuri (*Mucuna pruriens*, D.O.), pandari kusal (*Aristida funiculata*), dongari (*Chrysopogon fulvus*), marwel (*Dichanthium annulatum*), shikari (*Digitaria ciliaris*), kusali (*Heteropogon contortus*), kodra/kunda (*Paspalum cerobiculatum*), sheda (*Sehima nervosum*), chikta (*Setaria intermedia*), etc. among shrubs and grasses;

**AND WHEREAS**, the Sanctuary is known for wild animal species such as Hanuman langur (*Presbytes entells*, Dup.), jungle cat (*Felis chaus*, Guld.), common mongoose (*Herpestes edwardsi*, Geo.), striped hyena (*Hyaena hyaena*, Linn.), wolf (*Canis lupus*, Linn.), fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaulti*, Des.), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*, Linn.), Indian field mice (*Mus booduga*, Gray.), common house rat (*Rattus rattus*, Linn.), bandicoot rat (*Bandicota indica*, Bech.), Indian porcupine (*Hystrix indica*, Kerr.), rufous-tailed hare (*Lepus nigricollis* Cuv.), blue bull/nilgai (*Boselaphus tragocamelus*, Pall.), spotted deer (*Axis axis* Erx.), barking deer (*Muntiacus muntjak*, Zimm.), Indian wild boar (*Sus scrofa*, Linn.), Indian pangolin (*Manis srassicaudata*, Gray.), etc;

**AND WHEREAS**, avifauna with species of birds including grey heron (*Ardea cinerea*), pond heron (*Ardeola grayii*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), little egret (*Egretta garzetta*), little cormorant (*Phalacrocorax niger*), open-billed stork (*Anastomus oscitans*), white necked stork (*Ciconia episcopus*), black ibis (*Pseudibis papillosa*), brahmini duck (*Tadorna ferruginea*), black winged kite (*Elanus caeruleus*), shikra (*Accipiter badius*), grey partridge (*Francolinus pondicerianus*), common peafowl (*Pavo cristatus*), demoiselle crane (*Anthoroides virgo*), red wattled lapwing (*Vanellus indicus*), common sandpiper (*Tringar hypoleucos*), white breasted waterhen (*Amanrornis phoenicurus*), black-winged stilt (*Himantopus himantopus*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Indian ring dove (*Streptopelia decaocto*), red turtle dove (*Streptopelia*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), green pigeon (*Treron phoenicoptera*), Alexandrine parakeet (*Psittacula eupatria*), rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*), blossom-headed parakeet (*Psittacula cyanocephala*), brain fever bird (*Cuculus varius*), crow-pheasant (*Centropus sinensis*), pied kingfisher (*Ceryle rudis*), white-breasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), small blue kingfisher (*Halcyon atthis*), small green bee-eater (*Merops orientalis*), chestnut-headed bee-eater (*Perops leschanawli*), Indian roller (*Coracias benghalensis*), hoopoe (*Upupa epops*), Indian nightjar (*Caprimulgus asiaticus*), common grey hornbill (*Tockus birostris*), coppersmith (*Megalaima haemacephala*), golden-backed woodpecker (*Dinopium benghalense*), yellow-fronted pied woodpecker (*Picoides mahrattensis*), pigmy woodpecker (*Picoides nanus*), red-winged bush lark (*Mirafr erythroptera*), crested lark (*Galerida cristata*), rufous-tailed finch lark (*Ammomanes phoenicurus*), wire tailed swallow (*Hirundo smithii*), grey shrike (*Lanius excubitor*), bay-backed shrike (*Lanius vitatus*), rufous-backed shrike (*Lanius schach*), black drongo (*Dicrurus adsimilis*), black-headed myna (*Sturnus pagodarim*), pied myna (*Sturnus contra*), Indian myna (*Acridotheres*), Indian tree pie (*Dendrocitta vagabunds*), iora (*Aegithina tiphia*), red-vented bulbul (*Pycnontous cafer*), magpie robin (*Copsychus saularis*), Indian robin (*Saxicoloidesfulvicata*), black redstart (*Phoenicurus*), brown rock chat (*Cersomela fusca*), jungle babbler (*Turdoides striatus*), paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise*), white-spotted fantail flycatcher (*Phipidura albicollis*), tailor bird (*Orthotomus sutorius*), dull-green leaf warbler (*Phylloscopus trochiloides*), thick-billed warbler (*Acrocephalus aedon*), yellow-headed wagtail (*Motacilla citerola*), pied wagtail (*Motacilla cinerea*), white or pied wagtail (*Motacilla alba dukhunensis*), yellow wagtail (*Motacilla flava*), purple-rumped sunbird (*Nectarnia zeylonica*), purple sunbird (*Nectarnia asiatica*), white throated munia (*Lonchura malabarica*), black-headed bunting (*Emberiza melonocephala*), spotted owlet (*Athene brama*), scarlet minivet (*Pericrocotus flammeus*), etc. were recorded from the Sanctuary;

**AND WHEREAS**, the reptile, amphibians, fish, butterflies and spiders species available in the Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary are beaked worm snake (*Typhlina acutus*), Indian python (*Python molurus*), common sand boa (*Eryx conicus*), common wolf snake (*Lycodon aulicus*), green keelback (*Macropisthodon plumbicolor*), checkered keelback (*Xenochrophis piscator*), gunther's racer (*Argyrogena gracilis*), common bronzeback tree snake (*Dendrelaphis tristis*), common cat snake (*Boiga trigonata*), common cobra (*Naja naja*), Russell's viper (*Vipera russellii*), saw-scaled viper (*Echis carinatus*), bamboo pit viper (*Trimeresurus gramineus*), garden lizard (*Calotes versicolor*), Indian chameleon (*Chameleon zeylanicus*), common carp (*Labeo rohita*), common carp (*Cirrhinus mrigala*), catfish (*Wallago attu*), catfish (*Aitia coila*), knife fish (*Notopterus notopterus*), gar pike (*Xenentodon cancila*), snake-headed fish (*Chana striatus*), snake-headed fish (*Chana punctatus*), snake-headed fish (*Channa marulius*), perch fish (*Nardus nardus*), gobies (*Glossogobius guiris*), spring eel (*Mastocembelus pancalus*), common skink (*Mabuyia carinata*), tree frog (*Rhacophorus maculatus*), common toad (*Bufo malanosticulus*), crimson rose (*Tros hector*), common mormon (*Papilio polytes*), common mime (*Chilasa clytia*), pioneer (*Anaphaeis aurota*), white orange tip (*Ixias marianne*), great orange tip (*Hebomoia glaucippe*), common emigrant (*Catopsilia crocale*), mottled emigrant (*Catopsilia pyranthe*), common acacia blue (*Surendra quercetorum*), common cerulean (*Jamides celeno*), grass jewel (*Freyeria trochilus*), common hedge blue (*Acetolepis puspa*), dark band bush brown (*Mycalesis mineus*), tawny rajah (*Charaxes polyxena*), baronet (*Euthalia nais*), commander (*Moduza procris*), great eggfly (*Hypolimnas bolina*), danaid eggfly (*Hypolimnas misippus*), yellow pansy (*Percis hierta*), gray pansy (*Percis atlites*), plain tiger (*Danaus Chrysippus*), common crow (*Euploea core*), dark palm dart (*Astychus pythias*), grass demon (*Udaspes folus*), Indian skipper (*Spialia galba*), common redeye (*Matapa aria*), black wood spider (*Nephila kuhlii*), ashy social spider (*Stegodyphus sarasinorum*), funnel wolf (*Hippasa agelenoides*), tunnel wolf (*Lycosa indagatrix*), zebra jumper (*Plexippus paykulli*), long-legged straw (*Eucta javana*), etc.;

**AND WHEREAS**, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero (0) to 1.5 kilometres around the boundary of Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary, in Washim and Yavatmal in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero (0) to 1.5 kilometres around the boundary of Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 24.7375 square kilometres. *The zero extent of Eco-sensitive Zone has been proposed towards the Northern part of the Sanctuary near Gut No. 17 and 18 of Gangapur Village and Gut No. 39 of Kamathwada Village considering the absence of any ecologically important habitat on that fringe of the Sanctuary and the agricultural land adjoin thereof.*
  - (2) The boundary description of Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
  - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Karanja Sohla Blackbuck Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
  - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -
    - (a) Environment;
    - (b) Forest and Wildlife;
    - (c) Urban Development;
    - (d) Tourism;
    - (e) Municipal;
    - (f) Revenue;
    - (g) Agriculture;
    - (h) Maharashtra State Pollution Control Board;
    - (i) Rural Development;
    - (j) Panchayati Raj;
    - (k) Irrigation and Flood Control; and
    - (l) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
  - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
  - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
  - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (a) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (b) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (c) small scale industries not causing pollution;
- (d) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (e) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of

Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

**(9) Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-Medical Waste.-** Bio Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(11) Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.-** The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.-** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

- (b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 as amendments made thereto, Coastal Regulation Zone (CRZ), 2019 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act

1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) the mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	New wood based industry.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to

		<p>small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.



33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.** - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Washim	Chairman, <i>ex-officio</i> ;
(ii)	Representative of District Collector, Yavatmal	Member;
(iii)	Deputy Conservator of Forests (WL), Akola	Member;
(iv)	A representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
(v)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of the Town Planning office, Washim	Member;
(vii)	A representative of the Town Planning office, Yavatmal	Member;
(viii)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
(ix)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
(x)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(xi)	Deputy Conservator of Forests, Yavatmal	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Washim	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Additional measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/10/2019-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

**ANNEXURE- I**


**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA**

Direction	Bounded by
North	<p><b>Washim Forest Division – 0 to 150 Meters –</b></p> <p>Forest &amp; Non Forest Area of Washim Forest Division</p> <p>Northern boundary of S. No. 71, 70, 73, 74, 91, 90 of village Pasarani, S. No. 1, 13, 14, 12 of village Mirzapur, S. No. 55, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8 of Girada Village, S. No. 47 of village Imamapur, S. No. 48, 49, 50, 51, 52, 43, 41, 42, 67, 66, 33, 1, 31, 30, 29, 24, 9, 6, 2, 79, 78, 80, 74 of village Dadagaon, village boundary of Gangapur, Kamathawada, S. No. 53, 54 of Somathana village, S. No. 22, 25, 27, 32 of Bagapur village, S. No. 83, 81, 79, 77, 69, 75, 70, 49, 47, 74, 43, 44 of Umbarda village,</p> <p>Yavatmal Division –</p> <p>S. No. 432 to 440, 441, 450, 451, 452 to 457, 467 to 469, 475 to 479 of Hatola village.</p>
East	<p><b>Yavatmal Forest Division – 0 to 1500 Meters</b></p> <p>Forest &amp; Non Forest Area of Yavatmal Division</p> <p>Western side of S. No. 78, 75, 74, 61, 60, 58, 59, 57, 25, 26, 27, 497, 490, 493, 492, 487, 486, 485, 484, 482, 480, 481, 426, 427, 428, 429, 430, 425, 424, 422, 421, 420, 418, 417, 412, 410, 409, 413, 414, 415, 507, 509, 510, 511, 388, 383, 384, 385, 386, 392, 393, 394, 395, 399 of Hatola village. &amp; S. No. 95 to 98, 91 to 93, 70, 72, 73, 50 to 55, 40, 60, 61, 42 to 45, 112, and 113 of Sangavi.</p>
South	<p><b>Washim Forest Division – 0 to 100 Meters</b></p> <p>Forest &amp; Non Forest Area of Washim Forest Division</p> <p>Northern part of the S. No. 10, 7, 5, 33, 3, 1 of Zolgaon village, S. No. 37, 36, 41, 42, 43, 46, 48, 50 of Dighi village, S. No. 4, 2, 1, 43 of Januna village, S. No. 1, 2, 16, 21 of Ramanagar village S. No. 9, 7, 8 of Pimpari Village, S. No. 21, 19, 18, 36, 37, 44, 42, 41 of Ekalara village, S. No. 26, 27, 54, 29, 30, 31 to 34, 110, 109, 101, 103 to 105, 89 to 92, 84, 83 of Pimpalgaon village, Southern side village boundary of Girda village, S No. 27, 39, 4, 3 of Waki village, S. No. 57 to 60, 77, 78 of Waghola village, Southern village boundary of Yesapur.</p>

<b>West</b>	<p><b>Washim Forest Division – 0 to 200 Meters</b></p> <p>Forest &amp; Non Forest Area of Washim Forest Division</p> <p>Eastern side boundary of S. No. 40 to 46, 27 to 31, 33, 19 to 21, 14, 15, of Yesapur village, S. No 106, 3, 2, 110 of Pasarani village.</p>
-------------	---


**ANNEXURE- IIA**

**MAP OF KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE- IIB


MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS





ANNEXURE- IIC

LAND USE MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Node Point	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	20° 25 46.70	77° 29 11.50
2	2	20° 25 22.90	77° 29 37.30
3	3	20° 25 04.30	77° 30 19.30
4	4	20° 25 57.00	77° 30 37.20
5	5	20° 26 14.50	77° 31 38.70
6	6	20° 26 36.90	77° 30. 54.80
7	7	20° 27 0.00	77° 32 11.70
8	8	20° 26 16.00	77° 32 30.90
9	9	20° 25 57.30	77° 33 46.20
10	10	20° 25 31.90	77° 34 59.00
11	11	20° 26 26.90	77° 34 18.30
12	12	20° 26 56.30	77° 33 53.10
13	13	20° 26 59.70	77° 34 38.20
14	14	20° 27 22.02	77° 34 02.40
15	15	20° 27 38.06	77° 31 54.30
16	16	20° 27 45.80	77° 35 17.50

17	<b>17</b>	20° 27 13.90	77° 36 09.40
18	<b>18</b>	20° 26 21.10	77° 36 14.01
19	<b>19</b>	20° 26 23.60	77° 35 43.40
20	<b>20</b>	20° 27 21.20	77° 35 41.10

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

Sr. No.	Node Point	Latitude	Longitude
1	<b>A</b>	20° 25 47.10	77° 28 30.50
2	<b>B</b>	20° 24 48.50	77° 28 19.40
3	<b>C</b>	20° 24 48.20	77° 29 27.40
4	<b>D</b>	20° 26 08.40	77° 31 11.10
5	<b>E</b>	20° 25 54.80	77° 31 48.00
6	<b>F</b>	20° 27 10.70	77° 31 25.00
7	<b>G</b>	20° 26 14.00	77° 30 25.50
8	<b>H</b>	20° 27 38.30	77° 31 42.40
9	<b>I</b>	20° 27 27.50	77° 30 44.10
10	<b>J</b>	20° 27 55.20	77° 35 19.90
11	<b>K</b>	20° 26 37.90	77° 36 58.10
12	<b>L</b>	20° 25 16.70	77° 35 24.30
13	<b>M</b>	20° 25 51.20	77° 32 45.90
14	<b>N</b>	20° 26 55.20	77° 32 02.50

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KARANJA SOHAL BLACKBUCK WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Name of Village	Tehsil	District	Node Pt	Latitude	Longitude
1	Umbarda	Karanja	Washim	<b>a</b>	20° 27 19.40	77° 38 20.40
2	Somthana	Karanja	Washim	<b>b</b>	20° 26 30.70	77° 34 49.08
3	Bagapur	Karanja	Washim	<b>c</b>	20° 27 18.30	77° 35 14.70
4	Kamargaon	Karanja	Washim	<b>d</b>	20° 27 35.60	77° 33 21.90
5	Gangapur	Karanja	Washim	<b>e</b>	20° 27 37.80	77° 32 15.40
6	Dadgaon	Karanja	Washim	<b>f</b>	20° 27 13.50	77° 31 17.70
7	Pimpalgaon	Karanja	Washim	<b>g</b>	20° 25 45.60	77° 31 10.60
8	Girda	Karanja	Washim	<b>h</b>	20° 26 22.50	77° 30 02.50
9	Mirzapur	Karanja	Washim	<b>i</b>	20° 26 06.40	77° 29 21.30
10	Pasarani	Karanja	Washim	<b>j</b>	20° 25 43.70	77° 28 40.11
11	Yesapur	Karanja	Washim	<b>k</b>	20° 25 17.90	77° 28 20.00
12	Waki	Manora	Washim	<b>l</b>	20° 24 45.90	77° 29 47.30
13	Mamadabad	Karanja	Washim	<b>m</b>	20° 26 41.40	77° 32 02.80
14	Januna	Karanja	Washim	<b>n</b>	20° 25 43.00	77° 33 37.30

15	Raperi	Karanja	Washim	O	20° 26 29.10	77° 35 25.55
16	Hatola	Darava	Yavatmal	P	20° 26 38.20	77° 37 12.70

**ANNEXURE –V****Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.